रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 31, 1998 (कार्तिक 9, 1920)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31, 1998 (KARTIKA 9, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

मुम्बई–400006, दिनांक 27 अगस्त 1998

सं० 3 डब्ल्यूसीए (6) 9/97–98—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10–1 खण्ड 3 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को उनके आगे दी गई तिथि से रद्द कर दिया गया है क्योंकि वे अपने प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	003971	श्री पटेल श्रीकान्त चतुरभाई, ए०सी०ए०, 28, श्री बिल्डिंग, एस० वी० रोड, बैंक आफ बरोदा के ऊपर, सांताक्रुज–पश्चिम, मुंबई–400054।	05–03–98

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि किसी राशि से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय दन्त परिषद्

सं० ई० ई० 22-98—दन्त परिषद अधिनियम 1948 (1948 का 16) की धारा 20 के खण्ड (ग) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दन्त परिषद् केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, एतद्द्वारा दन्त कालेजों में अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अतिरिक्त दाखिल किए गए छात्रों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :— इन विनियमों को भारतीय दन्त परिषद् (दन्त कालेजों में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त दाखिल किए गए छात्रों की पहचान के मानदण्ड) विनियम, 1998 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रयोजनीयता :— ये विनियम उन सभी दन्त कालेजों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जो स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर दन्त पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं (जिन्हें एतद्पश्चात् "दन्त कालेज" कहा गया है)।

3. परिभाषाएं :—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय दन्त परिषद् अधिनियम 1948 (1948 का 16) अभिप्रेत है।

(ख) "प्रवेश क्षमता" का वही अर्थ है जैसा कि अधिनियम की धारा 10-क के स्पष्टीकरण 2 में दिया गया है।

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा कोई भी अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार जैसा भी मामला हो, द्वारा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न दन्त कालेजों में प्रवेश के लिए छात्रों का आबंटन करने के लिए नियुक्त किया गया हो।

(घ) सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

4. दन्त कालेज में स्वीकृत प्रवेश क्षमता:— परिषद् प्रत्येक वर्ष, स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर शैक्षिक दन्त पाठ्यक्रम के शुरू होने से पहले, दन्त कालेजों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दन्त कालेजों में स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता सूचित करेगी।

5. दन्त कालेजों द्वारा छात्रों की वर्ष-वार सूची भेजना—

(1) स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का आयोजन करने वाले सभी दन्त कालेज, इन विनियमों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन महीनों के भीतर, दन्त शल्य चिकित्सा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में (प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग) वर्ष 1992 में शुरू हुए शैक्षिक सत्रों से लेकर जिस वर्ष ये विनियम प्रकाशित होते हैं उस वर्ष तक के शैक्षिक सत्रों के दौरान दाखिल किए गए छात्रों की वर्ष-वार सूचियां परिषद को भेजेंगे।

(2) दन्त कालेज, दन्त शल्य चिकित्सा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के दौरान दाखिल किए गए छात्रों की सूची, दाखिला बन्द होने के 15 दिन के भीतर अथवा उस शैक्षिक वर्ष के 15 अक्तूबर तक, जो भी पहले हो, सक्षम प्राधिकारी को भेजेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि परिषद् को भेजेंगे।

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूची भेजना :— सक्षम प्राधिकारी, दन्त शल्य चिकित्सा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के दौरान दाखिल किए गए छात्रों की सूचियां, दन्त कालेजों

से सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर, अथवा उस वर्ष 31 अक्तूबर तक, जो भी पहले हो, परिषद् राज्य दन्त परिषद् और सम्बद्ध विश्वविद्यालय को भेजेगा।

7. परिषद् को भेजी जाने वाली छात्रों की सूची:—

(1) इन विनियमों के अन्तर्गत परिषद् को भेजी जाने वाली छात्रों की सूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी "मेरिट" क्रम के अनुसार तैयार की जाएगी जिसके आधार पर दाखिला दिया गया है।

(2) सूची के साथ दन्त कालेज का डीन/प्रधानाचार्य एक वचनबद्धता भी भेजेगा जिसमें उस दन्त कालेज की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का उल्लेख करने के साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख करेगा कि स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अतिरिक्त छात्रों/छात्राओं को दाखिला नहीं दिया गया है।

(3) दन्त कालेज में अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा/केन्द्रीय पूल कोटा/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आज्ञापक आरक्षण के माध्यम से दाखिल किए गए छात्रों/छात्राओं के नामों का उल्लेख भी सूची में होगा।

8. स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अतिरिक्त दाखिलों से संबंधित मामलों पर निर्णय परिषद् द्वारा लिया जाना :—

(1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिषद् को भेजी गई सूची और दन्त कालेज के लिए निर्धारित प्रवेश क्षमता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त दाखिल किए गए छात्रों से संबंधित सभी मामले परिषद् द्वारा निर्णीत किए जाएंगे।

(2) यदि परिषद् यह पाती है कि स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त दाखिले किए गए हैं तो सूची में नीचे के छात्रों को स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक दाखिल छात्र समझा जाएगा।

(3) अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा/केन्द्रीय पूल कोटा/अनुसूचित जातियों/जन जातियों आदि के लिए आज्ञापक आरक्षण के माध्यम से दाखिल किए गए छात्रों को निर्धारित प्रवेश क्षमता के भीतर शामिल किया जाएगा।

9. अतिरिक्त दाखिलों की पहचान और दन्त अर्हता को अमान्यता :—

(1) परिषद् किसी भी दन्त कालेज में अतिरिक्त दाखिलों का पता लगाएगी और अतिरिक्त प्रवेश के अन्तर्गत आने वाले दन्त कालेज के पहचान किए गए किसी भी छात्र को प्रदान की गई दन्त अर्हता, अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त दन्त अर्हता नहीं होगी। ऐसे पहचान किए गए छात्रों के नाम और अन्य ब्योरे, अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए, परिषद् द्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित किए जाएंगे।

(2) किसी दन्त कालेज में छात्र/छात्रों के अतिरिक्त दाखिले की पहचान के मामले में किसी भी विवाद को निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

(फा० सं० वी०-12025/19/96-पी०एम० एस०)

ए० एल० मिलानी,
सचिव
भारतीय दन्त परिषद्

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

DENTAL COUNCIL OF INDIA

No. DE-22-98:—In exercise of the powers conferred by clause(fc) of section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations relating to identification of students admitted in excess of the approved admission capacity of Dental Colleges, namely:—

1. (1) Short title and commencement: These regulations may be called the Dental Council of India (Criteria for identification of students admitted in excess of admission capacity of Dental Colleges) Regulations, 1998.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application:—These regulations shall apply to all dental colleges/institutions/universities conducting undergraduate/post-graduate dental courses (hereinafter referred to as the dental colleges).

3. Definitions:—In these regulations unless the context otherwise requires:

   (a) "Act" means the Dentists Act,1948 (16 of 1948);

   (b) "Admission capacity" has the same meaning as in Explanation 2 of Section 10-A of the Act.

   (c) "Competent Authority" means the Central Government or the State Government or any other authority as may be designated by the Central Government or the State Government as the case may be to allot students for admission to various dental colleges in a State or Union territory.

   (d) All other words and expressions shall have the same meaning as defined in the Act.

4. **Sanctioned intake capacity in dental college:**—The Council shall every year, prior to the start of undergraduate/post-graduate academic dental course, intimate the dental colleges and State/Union territory Governments, the sanctioned intake capacity of students for undergraduate/post-graduate courses in dental colleges.

5. Dental Colleges to furnish year-wise list of students :—

   (1) All dental colleges conducting undergraduate/post-graduate course shall, within three months of publication of these regulations in the Official Gazette, furnish year-wise lists of students admitted during the academic sessions commencing in the year 1992 till the year in which these regulations are published, for Bachelor of Dental Surgery and post-graduate course (for each course separately) to the Council.

   (2) The dental colleges shall furnish to the Competent Authority the list of students admitted during each academic year for Bachelor of Dental Surgery and Post-graduate courses, with a copy endorsed to the Council within fifteen days of the closure of admissions or 15th October of that academic year, whichever is earlier.

6. **Furnishing of List by Competent Authority:**—Competent Authority shall furnish lists of students admitted during each

academic year for Bachelor of Dental Surgery and post-graduate courses to the Council, the State Dental Council and the affiliating University, within fifteen days of the receipt of information from dental colleges or by 31st October of that year whichever is earlier.

7. **List of students to be furnished to the Council**

(1) A list of students to be furnished under these regulations to the Council shall be prepared by the Competent Authority in order of merit on the basis of which admissions have been made.

(2) The list shall be supported by undertaking of the Dean/Principal of a dental college stating the sanctioned admissio capacity of that dental college and that no admission has been made in excess of the sanctioned admission capacity.

(3) The names of students admitted in a dental college through all India Entrance Examination/Central Pool quota/mandatory reservation for the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes shall find mention in the list.

8. **Matters relating to excess admission to be decided by the Council**

(1) All matters relating to excess admission of students shall be decided by the Council taking into account the list furnished to the Council by a Competent Authority and the admission capacity fixed for the dental college.

(2) If the Council finds that the admissions have been made over and above the sanctioned admission capacity, the students lower down in the list shall be treated to be admitted in excess of the sanctioned admission capacity.

(3) The students admitted through All India Entrance Examination/Central Pool Quota/mandatory reservation for the scheduled Castes/Scheduled Tribes, etc. shall be included within the fixed admission capacity.

9. **Identification of excess admission and non-recognition of dental qualification**

(1) The Council shall find out the excess admissions in a dental college and no dental qualification granted to any identified student of the dental college which comes under the excess admission shall be recognised dental qualification for the purpose of the Act. The names and other particulars of students so identified shall be intimated by the Council to all concerned for taking action under the provisions of the Act.

(2) Any dispute in the matter of identification of excess admission of student(s) in a dental college shall be referred to the Central Government for decision.

F. No. V. 12025/19/96-PMS

A.L. MIGLANI
Secretary
Dental Council of India.